झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–164/2019

बिरसा टोप्पो ....याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. बैंक ऑफ इंडिया द्वारा महाप्रबंधक, प्रधान अधिकारी, मानव संसाधन विभाग, बांद्रा, मुंबई
2. आंचलिक प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, जमशेदपुर जोन, जमशेदपुर
3. सहायक महाप्रबंधक और उप–क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, जमशेदपुर जोन, जमशेदपुर

..........विरोधी पार्टियाँ

कोरमः **माननोय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री अभिषेक कुमार गेसेन, अधिवक्ता

विपक्षीगण के लिए :

03/26.04.2019 याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

रिट याचिका डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–5009/2017 को दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 के अनुल्लंघनीय आदेश, दिए गए समय के भीतर बचे हुए त्रुटियों को दूर करने में विफलता का अनुपालन न करने के कारण खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उक्त तिथि को, याचिकाकर्त्ता अदालत में उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि उसकी दादी गंभीर रूप से बीमार थी और निर्धारित समय के भीतर आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका। हालांकि याचिकाकर्त्ता की गलती नहीं है, फिर भी उसे अपूरणीय क्षति हो सकता है, अगर रिट याचिका को पुनः स्थापित नहीं किया जाता है।

प्रार्थना का कोई विरोध नहीं है।

इस याचिका में बताए गए कारणों और प्रस्तुत तर्कों के मद्देनजर डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–5009/2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाए। रिट याचिका में बचे हुए त्रुटियों को दो सप्ताह की अवधि के भीतर दूर कर दिया जाना चाहिए। कार्यालय इसकीजांच करे और उसके बाद रिट याचिका उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करे।

तद्नुसार, यह याचिका निपटाई जाती है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)